



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-10092026-276111
CG-MH-E-10092026-276111

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4752]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 8, 2026/भाद्र 17, 1948

No. 4752]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 2026/BHADRA 17, 1948

रेल मंत्रालय
(पश्चिम रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 8 सितम्बर, 2026

का.आ. 4942(अ).— केंद्रीय सरकार रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008, की धारा 2 के खंड (37 क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, “ नर्मदा नदी पर नए संरेखण पर दोहरी लाइन रेलवे पुल का निर्माण, पुल संख्या - 502, सूरत - बड़ौदा सेक्शन” को भूमि अधिग्रहण के हेतु लोक प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना उपबंधित करने हेतु गुजरात राज्य में रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. ई-770366-2]

तरुण डंडोटिया, मुख्य अभियंता (निर्माण)-II

MINISTRY OF RAILWAYS**(Western Railway)****NOTIFICATION**

Mumbai, the 8th September, 2026

S.O. 4942(E).—In exercise of the powers conferred by clause (37A) of Section 2 of the Railways (Amendment) Act, 2008 the Central Government hereby notifies “Construction of double line railway bridge on Narmada river on new alignment in lieu of Br. No. 502 in ST – BRC Section”, as a Special Railway Project for acquisition of land in the State of Gujarat, for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. E-770366-2]

TARUN DANDOTIYA, Chief Engineer (Const)- II